संख्या– 1649 सी0डी0 / 46–3–09–20(14) / 2009

प्रेषक,

नेत राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद
शाहजहाँपुर।

चीनी उद्योग अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक 28 फरवरी 2010

विषयः– वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन के भाग–2 की संस्तुतियो पर लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद,शाहजहाँपुर के विभिन्न श्रेणी के पदो के सम्बन्ध में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन बैण्ड / ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की स्वशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 में की गयी संस्तुतियों को सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा कतिपय संशोधन के साथ संकल्प संख्या–वे0आ0–2–252 / दस–54(एस) / 2008 टी0सी0 दिनॉक 07 फरवरी 2009 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है।

2– उक्त शासकीय संकल्प दिनॉक 07 फरवरी 2009 के द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम मे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद,शाहजहाँपुर के, इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ–2 में उल्लिखित, विभिन्न पदो के सम्मुख स्तम्भ–3 में इंगित वर्तमान वेतनमानों को दिनॉक 01 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्तम्भ–5 एवं 6 के अनुसार सादृश्य वेतन बैण्ड एवं सादृश्य ग्रेड वेतन दिनॉक 01 जनवरी 2006 अथवा परिषद के कार्मिकों द्वारा दिये गये विकल्प की तिथि से अनुमन्य किये जाने एवं पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद भुगतान दिनॉक 01.012.2008 से किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में पुनरीक्षित वेतन तथा महँगाई भत्ता का दिनांक 1.12.2008 से नकद भुगतान किया जायेगा। दिनांक 1.1.2006 से 30.11.2008 तक के अवशेष का 60 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा शेष 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11 इस

प्रतिबन्ध के अधीन किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में देय अवशेष का आहरण माह अक्टूबर के पूर्व नहीं किया जायेगा। परिषद के कार्मिकों को उक्त अवशेष की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

4– शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ–2 के क्रमांक–2 एवं 3 में उल्लिखित अपर निदेशक एवं संयुक्त निदेशक के वर्तमान वेतनमान राज्य सरकार के पुनरीक्षित वेतन संरचना में उपलब्ध न होने के कारण उक्त शासकीय संकल्प दिनांक 07.02.2009 में किये गये प्राविधानों के अनुसार समान कंसिडरेशंस के आधार पर निर्धारित किये गये हैं।

5– उक्त कार्मिकों (राज्य सरकार अथवा अन्य किसी अधिष्ठान के कर्मचारी, जो संस्था में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, को छोड़कर) का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण दिनॉक 01 जनवरी 2006 को राजकीय कर्मियों के लिए वेतन निर्धारण की प्रकिया के अनुसार किया जायेगा। परन्तु ऐसे कार्मिकों जिनके लिये 50 प्रतिशत के समतुल्य मॅहगाई भत्ते की धनराशि को मॅहगाई वेतन में परिवर्तित नहीं किया गया है, के लिए दिनॉक 01 जनवरी 2006 को अनुमन्य मूल वेतन की 186 प्रतिशत धनराशि को बैण्ड वेतन माना जायेगा। उक्त निर्धारित बैण्ड वेतन एवं सादृश्य ग्रेड वेतन के योग को पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन माना जायेगा।

6– राज्य सरकार अथवा अन्य किसी अधिष्ठान के कर्मचारी जो संस्था में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अपने मूल विभाग/अधिष्ठान के पद के सन्दर्भ में लागू निर्णय के अनुसार अनुमन्य होगा।

7– पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतनवृद्धि की दर एक समान 03 प्रतिशत होगी तथा वेतनवृद्धि की तिथि समान रूप से 01 जुलाई रखी जायेगी।

8– पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त कार्मिकों को मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता तथा प्रसूति अवकाश/बाल्य देखभाल अवकाश राज्य कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित दरों के अनुसार दिनांक 01–12–2008 से प्रभावी की जायेंगी।

9– उक्त संस्था के ऐसे पदधारक जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नति/उच्च वेतनमान दिनॉक 01 जनवरी 2006 के पूर्व अनुमन्य हो चुका है उन्हें उक्त वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य होगा, परन्तु ऐसे पदधारक जिन्हें उक्त लाभ दिनॉक 01 जनवरी 2006 को अथवा उसके पश्चात पुनरीक्षित वेतन संरचना अपनाये जाने की तिथि के बाद वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हुआ है, उन्हें उक्त लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य नहीं होगा। इसी प्रकार यदि सेवा अवधि के आधार पर पूर्व के वेतनमान में कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि पुनरीक्षित वेतन संरचना अपनाये जाने के बाद की

तिथि से अनुमन्य हुई हो तो उसके आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में ऐसी वेतनवृद्धि का लाभ देय नहीं होगा।

10– उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद,शाहजहाँपुर के कार्मिकों हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रभावी होगी।

11– उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर के कार्मिकों को यदि राजकीय कर्मियों से इतर कोई सुविधा अनुमन्य है तो उसका औचित्य बताते हुए उसे जारी रखने के सम्बन्ध में शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–6–107/10 दिनॉक 28–02–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(नेत राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1649(1)सी0डी0/46–3–09–20(14)/2009 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/लेखा परीक्षा प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–6/वित्त वेतन आयोग अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4– गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार तिवारी)
उप सचिव।

Ap-Go-41